बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सं0सं0–प्र03 (नियुक्ति)–04/2026 6402 /खाद्य, पटना/दिनांक 13-10-26

कार्यालय आदेश

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक– 20/लो0से0आ0/गो० दिनांक–20.07.2026 द्वारा 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दिनांक–30.07.2026, 31.07.2026 एवं 10.08.2026 को संपन्न बायोमैट्रिक तथा शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत अधोलिखित शर्तों के अधीन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन आपूर्ति निरीक्षक के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान लेवल–7 (रू0 44900/–) एवं समय–समय पर जीवन–यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से परीवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेधा क्रमांक	अनु0	नाम	जन्म तिथि	कोटि	चयनित कोटि	स्थायी पता
01	02	03	04	05	06	07	08
01	2598	104173	तुषार सिंह	30.05.1996	01	01 (FFD)	पता–मकान संख्या–243, ग्राम/मोहल्ला–नवादा, पोस्ट–आरा, थाना–नवादा, प्रखंड– सदर आरा, जिला–भोजपुर, पिन कोड–802301
02	3947	452528	पूनम भारती	19.03.1999	02	02	पता–ग्राम–बदलू बिगहा, थाना–परस बिगहा, जिला–जहानाबाद, बिहार, पिन कोड–804429

2. नियुक्ति पत्र प्रदान किये जाने के बाद प्रशिक्षण हेतु नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षकों को दिनांक 13.08.2026 के प्रभाव से बिपार्ड, गयाजी में प्रतिनियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षकों के पदस्थापन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षकों की परीक्ष्यमान की अवधि योगदान की तिथि से एक (01) वर्ष की होगी।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2160 दिनांक–05.02.2025 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग के परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०–1964 दिनांक 31.08.2006 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमण आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

09. योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा 03 (माह) तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

10. संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षकों का 03 (तीन) माह के लिये औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि 03 (तीन) माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षकों के वेतनादि की निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

11. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने की स्थिति में तद्नुसार इसे संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के सयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– प्र03 (नियुक्ति)–04/2026 6402 खाद्य, पटना/दिनांक– 13-10-26
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– प्र03 (नियुक्ति)–04/2026 6402 खाद्य, पटना/दिनांक– 13-10-26
प्रतिलिपिः-- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गयाजी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी जिला पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– प्र03 (नियुक्ति)–04/2026 6402 खाद्य, पटना/दिनांक– 13-10-26
प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक–सह–विशेष सचिव कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/सभी संयुक्त सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सयुक्त सचिव।